फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

बैंक ऑफ बडौदा, रेलमगरा शाखा जिला राजसमन्द राजस्थान 313329 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र मीश्रा **– प्रार्थी बैंक**

बनाम

1. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रूप लाल शर्मा, ब्रम्हपुरी मोहल्ला, गावं सादडी, रेलमगरा, राजसमन्द राजस्थान 313329 **– ऋणी**
2. श्री ललित कुमार पालीवाल पुत्र श्री गोटू लाल पालीवाल , सदर बाजार, खाखल बावजी के पास, गावं रेलमगरा, राजसमन्द राजस्थान 313329 **(जमानती)**

– अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 32/2024**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 29/07/2024 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा रेलमगरा, राजसमन्द(राज.) में है। प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय में दिनांक 25.06.2024 को धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण करार संख्या 44860600000305 के द्वारा 8.00 लाख रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूमि एवं भवन जो पट्टा नं. 031, ब्रम्हपुरी मोहल्ला, गाँव सादडी, तहसील रेलमगरा, राजसमन्द, राजस्थान को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति :– श्री जगदीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रूप लाल शर्मा के नाम साम्यिक बंधक आवासीय भूमि एवं भवन जो पट्टा नं. 031, ब्रम्हपुरी मोहल्ला, गाँव सादडी, तहसील रेलमगरा, राजसमन्द, राजस्थान 313329 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 679 वर्ग फीट है। सीमाएं पूर्व : मुख्य रोड़, पश्चिम : मुख्य रोड़, उत्तर : शंकर लाल जोशी का मकान, दक्षिण : बालू राम जोशी का मकान को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नही कर सकें। और दिनांक 16.01.2023 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 44860600000305 में दिनांक 19.01.2023 को बकाया राशि रूपये 3,13,116.93 (अक्षरे तीन लाख तेरह हजार एक सौ सोलह एवं पैसे तिरानवे मात्र) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे देय निकलते है, मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के	

न्यायालय जिला कलक्टर

अन्तर्गत दिनांक 20.01.2023 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड डाक व चस्पादगी के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतो पर प्रेषित किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नही किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सूपर्द करने का अधिकार प्राप्त हैं। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 20.01.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी हैं। उसका विवरण इस प्रकार हैं – श्री जगदीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रूप लाल शर्मा के नाम साम्यिक बंधक आवासीय भूमि एवं भवन जो पट्टा नं. 031, ब्रम्हपुरी मोहल्ला, गाँव सादडी, तहसील रेलमगरा, राजसमन्द, राजस्थान 313329 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 679 वर्ग फीट है। सीमाएं पूर्व : मुख्य रोड़, पश्चिम : मुख्य रोड़, उत्तर : शंकर लाल जोशी का मकान, दक्षिण : बालू राम जोशी का मकान।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा रेलमगरा के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा रेलमगरा को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)